

2018/00023

13/11/18

न्यायालय तहसील 512 (राजस्व) लूकरबसर, जिला बीकानेर

सरकार

बनाम श्री गणेशदास S/O हनुमानदा जालीम

किस्म मुकदमा - आर.सी.ए. 1954 की धारा 91

एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मुकदमा नम्बर

15/18

वर्ष 2018

फसल

2018

आदेश दिनांक

कार्यवाही विवरण

आदेश की जालीम

पटवारी हल्का

2-18

की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी ने

ग्राम/चर्क सधुपल के

खसरा नं./मुर्जम 170

तादादी 0.04 बीघा

राजकीय भूमि पर सम्बत 2018 में

नाजायज कब्जा कर कन्सिडर ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस

जारी किया जावे एवं भू अमिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क कर हेतु लिखा

जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश है।

2-11/18

21/11/18

13/22-118

8/2/18

6/11/18 को पेश हुई। खसरा नं. 170 पर सधुपल ग्राम/चर्क सधुपल के खसरा नं. 170 के राजकीय भूमि पर सम्बत 2018 में नाजायज कब्जा कर कन्सिडर ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं भू अमिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क कर हेतु लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश है।

गणेशदास

घ रजिस्टर के पृष्ठ 109 के कस. 15 पर मांग ग्राम श्री गल्ली
12/11/18

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या 15 / 2018

दिनांक 8/2/18

निर्णय

पत्रावली भेज हुई। सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ... ने रिपोर्ट (पी-4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल ... जाति ... साकिन ... ने ग्राम ... के खसरा नं० ... रकबा ... बीघा जोड़ड़ पायतन, गोबर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त/बाड़ा/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बंधित गैर सायल का समूचा अधि 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दल कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल गिराल किया गया। संबंधित गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि सतीषजनक नहीं होने के कारण से सम्बंधित गैर सायल ... पुत्र श्री ... जाति ... साकिन ... ग्राम ... खसरा नं० ... रकबा ...

बीघा के अतिकार करने पर राज भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व ... का 50 गुणा रूपये ... शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुमाना परसूली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत एम द्वारा शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व) लूनकरनसर